



रजिस्टर्ड नं० २० डी०

लाइसेंस सी० डब्ल्यू० पी०-4;

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 अक्टूबर, 1984

आश्विन 9, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2038/सत्रह-वि०-1-1(क)-17-1984

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 1984

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 सितम्बर, 1984 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1984)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निर्म्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) यह 29 जून, 1984 को प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
11 सन् 1966
की धारा 29
का संशोधन

धारा 35 का
संशोधन

निरसन और
अपवाद

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कह
गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून
1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और
अंक "30 जून, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे।

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित
किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यह
संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा
संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो
इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 2038(2)/XVII-VI-1—(Ka)-17-1984

Dated Lucknow, October 1, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Sanhodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature, and assented to by the Governor on September 29, 1984:

**THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT)
ACT, 1984**

[U. P. Act no. 17 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 29, 1984.

Amendment of
section 29 of the
U. P. Act no. XI
of 1966.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, herei after referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso thereto, for the word and figures "June 30, 1984", the word and figures "December 31, 1984" shall be substituted.

Amendment of
section 35.

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the word and figures "June 30, 1984", the word and figures "December 31, 1984" shall be substituted.

Repeal and
saving.

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1984, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

B. L. LOOMBA,
Sachiv.